न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत,
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध 202 / 2023

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 भाकरराम पुत्र वेनाराम जाति राईका निवासी रूपनगर वाया चण्डावल स्टेशन तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. ओमप्रकाश पुत्र अमानराम राईका निवासी रूपनगर तह0 सोजत 2. दलपत पुत्र अमानराम जाति राईका निवासी रूपनगर तह0 सोजत 3. मोहनलाल पुत्र अमानराम जाति राईका निवासी रूपनगर 4. सुखदेव पुत्र अमानराम जाति राईका निवासी रूपनगर तह0 सोजत 5. गीतादेवी पत्नी हरजीराम जाति राईका निवासी मुरडावा तह0 सोजत 6. गोपाराम पुत्र रूपाराम जाति राईका निवासी रूपनगर तह0 सोजत 7. सरकार जरिये तहसीदार सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

–: निर्णय :– दिनांक 03/04/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि मौजा ग्राम रूपनगर तहसील सोजत में प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा, कब्जा सुदा कृषि भूमि निम्न खसरा नम्बर 591 रकबा 1.4900 हैक्टर बारानी दोयम आई हुई स्थित है। उउक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की सयुक्त रूप से दर्ज सुदा खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 आता है। पक्षकार अपने बंट अनुसार काबिज है। पक्षकारो के मध्य विधिक बंटवाडा नही होने से पक्षकारों के मध्य माठो को लेकर विवाद रहता हैं अप्रार्थीगण बंटवाडा करने हेतु सहमत नही हे। एवं प्रार्थी को बेदखल करने की धमकिया देते है। अप्रार्थीगण विशिष्ट भू–भाग का बैचान करने पर भी आमादा हे। यदि ऐसा करने में सफल होते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होती है। जिप्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है ऐसा करने में वे सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को

जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबद्ध कर मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति कायम रखने हेतु आदेशित किया जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल पेश सा0मि0 हो। अप्रार्थीगण 01 से 06 बावजुद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदानर सोजत सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी रेकर्डडेड खातेदार है। अप्राथीगण उसकी खातेदारी कब्जे काश्क की कृषि भूमि में अनावश्यक दखल अन्दाजी करता है। जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थीगण संख्या 07 ने व्यक्त किया कि दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि का सीमा संबंधी विवाद है। जिसे मूल वाद में जबाब दावा रेकर्ड पर लिया जाकर तनकी कायम कर गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में सयुक्त कब्जे की पुश्तैनी कृषि भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का सारहीन, तथ्यहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

(कुसुमलता चौहान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 03/4/25 .....को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत